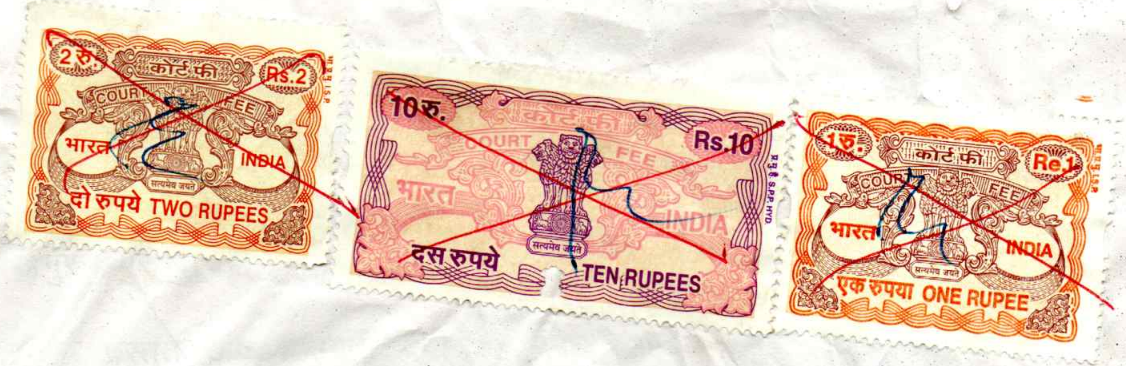

3. C P

केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख Date of Which Application in made for copy accomp--anied by the requisite stamps.	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of porting notice on notice board.	नकल वापिस दिये जाने की तारीख Date of delivery of copy	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of officer delivering copy
71 1-12-15	1-12-15	1-12-15	1/12/15

न्यायालय अपर जिलाधिकारी सदर मिर्जापुर
वाद सं. D201516530001347 / 2 2015
अन्तर्गत 143 ज०वि०अ०
प्रभावती बनाम सरकार
मौजा .... तहसील सदर जिला मिर्जापुर
नकल आदेश दिनांक 1-10-15 को
दाखिल .... है

न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर मीरजापुर

वाद संख्या D201516530013547 वर्ष 2015 अर्न्तगत धारा 143 ज0वि0अधि0

प्रभावती देवी बनाम सरकार

मौजा– अनुरूद्धपुर पूरबपट्टी तप्पा कोन परगना कंतित तहसील सदर जिला मीरजापुर

निर्णय

प्रस्तुत वाद प्रभावती देवी मेमोरियल कालेज आफ एजूकेशन एण्ड ट्रेनिंग अनुरूद्धपुर पूरबपट्टी जरिए शशांक सिंह पुत्र सुरेश सिंह चेयरमैन/प्रबन्धक आस्था चैरिटेबुल ट्रस्ट पटेहरा तप्पा कोन परगना कंतित तहसील सदर जिला मीरजापुर द्वारा बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी मीरजापुर के यहाँ प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की आ0नं0 389 रकबा 1.692 हे0 स्थित मौजा अनुरूद्धपुर पूरबपट्टी तप्पा कोन परगना कंतित तहसील सदर जनपद मीरजापुर की 15 विस्वा भूमि को जरिये बैनामा प्राप्त किया है, कागजात माल में प्रार्थी का नाम बतौर स्वामी अंकित है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि शैक्षिक संस्था के भवन निर्माण हेतु क्रय किया गया है तथा उक्त भूमि का आवासीय उपयोग कर रहा है, जिसके बावत प्रश्नगत भूमि को आवासीय श्रेणी में दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्याय सगत होगा। प्रश्नगत भूमि चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत है, जिसके बावत भूमि की श्रेणी परिवर्तन करने का सम्पूर्ण अधिकार मा0 न्यायालय को प्राप्त है, जिससे प्रश्नगत भूमि के बावत क्षेत्रीय अहलकारान् से वाँछित आख्या तलब कर भूमि को आवासीय श्रेणी में दर्ज कागजात माल किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है।

उक्त प्रार्थनापत्र पर कार्यालय बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी मीरजापुर के पत्रावली संख्या 1222/पी0के0–आख्या/2015–16 दिनांक 29 सितम्बर, 2015 में यह उल्लेख किया है कि प्रभावती देवी मेमोरियल कालेज आफ एजूकेशन एण्ड ट्रेनिंग अनुरूद्धपुर पूरबपट्टी बजरिये शशांक सिंह पुत्र सुरेश सिंह चेयरमैन/प्रबन्धक आस्था चेरिटेबुल ट्रस्ट पटेहरा द्वारा दिये गये प्रार्थनापत्र पर चकबन्दी अधिकारी रमईपट्टी से आख्या प्राप्त की गयी, आख्या में उल्लेख किया गया है कि ग्राम अनुरूद्धपुर पूरबपट्टी परगना कंतित तहसील सदर जिला मीरजापुर के आधार वर्ष खतौनी के खाता संख्या 105 में अंकित आ0नं0 389 रकबा 1.692 हे0 गजराज, प्यारेलाल, अमरनाथ पुत्रगण तेजबहादुर निवासी पटेहरा के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। सहायक चकबन्दी अधिकारी के आदेश वाद संख्या 28 ता0फै0 13–02–2005 के द्वारा मृतक प्यारेलाल के स्थान पर सुरेश कुमार, दिनेश कुमार, रमेश कुमार पुत्रगण प्यारेलाल निवासी पटेहरा का नाम बतौर वारिस अंकित होने का आदेश पारित किया गया है। पुनः सहायक चकबन्दी अधिकारी के आदेश वाद संख्या 54 ता0फै0 18–05–2015 के द्वारा उक्त खाता संख्या 105 में अंकित आ0नं0 389 रकबा 1.692 हे0 में 15 विस्वा अपने सम्पूर्ण अंश से सुरेश पुत्र प्यारेलाल व 9 विस्वा अपने अंश से विक्रेता रमेश कुमार पुत्र प्यारेलाल निवासी पटेहरा का नाम पंजीकृत बैनामा रजि0 1910 दिनांक 12–03–2015 व तितिमा बैनामा रजिस्टर्ड 3370 दिनांक 07–05–2015 के अनुसार निरस्त होकर क्रेता प्रभावती देवी मेमोरियल कालेज आफ एजुकेशन एण्ड ट्रेनिंग अनुरूद्धपुर पूरबपट्टी बजरिये शशांक सिंह पुत्र सुरेश सिंह चेयरमैन आस्था चैरिटेबुल ट्रस्ट पटेहरा का नाम बतौर बैदार संक्रमणीय भूमिधर दर्ज होने का आदेश पारित किया गया है। इस सम्बन्ध में चकबन्दी लेखपाल द्वारा लिखित आख्या दिनांक 10–09–2015 संलग्न पत्रावली है। प्रश्गनत प्रकरण में आवेदक द्वारा आराजी नं0 389 रकबा 1.692 हे0 में से रकबा 24 विस्वा भूमि जरिये पंजीकृत बैनामा अर्जित की गयी है। इसी भूमि को आवेदक ने आवासीय श्रेणी में अंकित किये जाने की प्रार्थना की है। आवेदक ने अपने प्रार्थनापत्र में उक्त भूमि को शैक्षिक संस्था के भवन निर्माण हेतु क्रय किये जाने का उल्लेख किया है। स्थल पर बयशुदा आराजी संख्या 389 मि रकबा 24 विस्वा पर सम्प्रति विद्यालय हेतु भवन निर्माणाधीन है। आख्या में नजरी नक्शा भी बनाया गया है। आख्या मय नजरी नक्शा पत्रावली के साथ संलग्न है। चकबन्दी अधिकारी रमईपट्टी की आख्या दिनांक 22–09–2015 व 28–09–2015 मय नजरी नक्शा श्री शशांक सिंह पुत्र सुरेश सिंह निवासी पटेहरा द्वारा दिये गये प्रार्थनापत्र दिनांक 28–09–2015 के क्रम में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित की गयी है।

मैनें पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों एवं बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी मीरजापुर की आख्या दिनांक 29–09–2015 का सम्यक परीक्षण किया। परीक्षण से स्पष्ट

आ0नं0 389 रकबा 1.692 हे0 में से रकबा 24 विस्वा भूमि कृषि, उधानकरण, पशुपालन, जिसमें मत्स्य सम्बर्धन, कुक्कुट पालन और सामाजिक वानिकी भी है से भिन्न प्रयोजन अर्थात् अकृषिक रूप में प्रयुक्त होने के कारण ज0वि0 अधि0 की धारा 143 के अर्न्तगत प्रख्यापित कर भू0राजस्व से मुक्त किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी मीरजापुर की आख्या दिनांक 29–09–2015 के आधार पर ग्राम अनुरूद्धपुर पूरबपट्टी तप्पा कोन परगना कंतित तहसील सदर जिला मीरजापुर की आ0नं0 389 रकबा 1.692 हे0 में से रकबा 24 विस्वा भूमि भूमि कृषि, उधानकरण, पशुपालन, जिसमें मत्स्य सम्बर्धन, कुक्कुट पालन और सामाजिक वानिकी भी है से भिन्न प्रयोजन अर्थात् अकृषिक रूप में प्रयुक्त होने के कारण उक्त भूखण्ड ज0वि0 अधि0 की धारा 143 के अर्न्तगत प्रख्यापित कर भू0राजस्व से मुक्त किया जाता है। आदेश की एक प्रति उप निबन्धक सदर को धारा 145 सपठित नियमावली 137 ज0वि0अधि0 के तहत निःशुल्क निबन्धन हेतु भेजा जाये। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित हो।

01.10.15

(राज कुमार)
उप जिलाधिकारी सदर
मीरजापुर

कार्यालय उप जिलाधिकारी सदर-मीरजापुर

नकलकर्ता ....
मुकाबलाकर्ता ....

सत्य प्रतिलिपि
1/1/15
उप जिलाधिकारी सदर
मीरजापुर